"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 514] रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 नवम्बर 2017—— अग्रहायण 1, शक 1939

राजभवन

रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2017

आदेश

क्रमांक एफ 1-1/2012/रास/यू. -11. — राज्य शासन के परामर्श एवं छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (क्रमांक 21 सन् 2011) की धारा 9 की उपधारा (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपति द्वारा डॉ. एस. के. पाटील, कुलपति, ईंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

हस्ता./-

(जनमेजय महोबे)
राज्यपाल के उप सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.